The Hindu Plus Summary : 12.01.2024

मेन्स मास्टर

स्पीकर का कोर्ट

शिवसेना गुटों पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला और दलबदल विरोधी कानून के निहितार्थ:

फैसला:

• स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे गुट को निम्नलिखित के आधार पर "असली शिव सेना" घोषित किया:

  ◦ अधिकांश विधायक (55 में से 37) शिंदे का समर्थन कर रहे हैं।

  ◦ चुनाव आयोग को सौंपे गए पार्टी संविधान के शिंदे गुट के संस्करण पर भरोसा।

• किसी भी गुट के विधायकों की कोई अयोग्यता नहीं:

  ◦ शिंदे गुट किसी व्हिप का उल्लंघन नहीं कर रहा है (ठाकरे गुट द्वारा नहीं दिया गया)।

  ◦ ठाकरे गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं में तकनीकी खामियां।

चिंताओं:

• कोर्ट के पिछले फैसले की विसंगतियों के आधार पर ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकता है:

  ◦ कोर्ट ने शिंदे व्हिप को स्पीकर की मान्यता को अवैध करार दिया.

  ◦ न्यायालय ने दलबदल के दावों के लिए "मूल पक्ष" के तर्क को अप्रासंगिक माना।

• **पूर्वाग्रह**: जब दल-बदल विवादों का निर्णय स्वतंत्र निकायों द्वारा नहीं, बल्कि अध्यक्षों द्वारा किया जाता है, तो यह निर्णय राजनीतिक प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है।

आउटलुक:

• यह फैसला बहुमत और चुनाव आयोग के दस्तावेजों के आधार पर दलबदल मामलों में "वास्तविक पार्टी" का निर्धारण करने के लिए एक मिसाल कायम करता है।

• ऐसे विवादों में दल-बदल विरोधी कानून और स्पीकर की शक्ति की निश्चित व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना।

• इस बात पर बहस जारी रहने की संभावना है कि क्या दलबदल का निर्णय स्पीकर के पास रहना चाहिए या अधिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक स्वतंत्र प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

व्यापक विश्लेषण:

नार्वेकर के फैसले ने, अयोग्यता संबंधी याचिकाओं का तत्काल समाधान करते हुए, दल-बदल विरोधी कानून और इसके कार्यान्वयन के बारे में बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। "बहुमत" और पार्टी दस्तावेजों पर उनकी निर्भरता "वास्तविक पार्टी" के निर्धारण के मानदंडों में एक नया आयाम जोड़ती है, लेकिन स्पीकर के फैसलों में राजनीतिक पूर्वाग्रह के बारे में चिंताओं को भी बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट में संभावित कानूनी लड़ाई और एक स्वतंत्र प्राधिकरण पर चल रही बहस दलबदल विवादों से निपटने के लिए एक स्पष्ट और अधिक निष्पक्ष प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारतीय संसद, एक वादा ठुकराया गया

भारतीय संसद में सुरक्षा उल्लंघन (दिसंबर 2023):

• **घटना का अवलोकन:**

• दिसंबर 2023 में, भारतीय संसद में एक सुरक्षा उल्लंघन सामने आया जब गैस कनस्तरों वाले दो युवकों ने परिसर में घुसपैठ की।

• उनके घुसपैठ से अराजकता फैल गई, लोग लोकसभा के फर्श पर कूद पड़े, जिससे बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मच गई।

• इस उल्लंघन के पीछे के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं और यह चल रही जांच का विषय है।

• **परिणाम और राजनीतिक नतीजा:**

• इसके बाद विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच तनावपूर्ण गतिरोध देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः विभिन्न विपक्षी दलों के 146 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया।

• इन सदस्यों के निलंबन ने पहले से ही गर्म राजनीतिक माहौल में और घी डाल दिया।

भारत की संसदीय सरकार का ऐतिहासिक संदर्भ:

• **सरकार के स्वरूप पर बहस:**

• प्रारंभिक वर्षों के दौरान, भारत के लिए सरकारी मॉडल की पसंद को लेकर महत्वपूर्ण बहसें हुईं।

• **चार प्रमुख रुख उभरे:** राष्ट्रपति, भारतीय रूढ़िवाद, स्वराजवादी और संसदीय।

• निर्णायक प्राधिकार और सामूहिक कार्यकारी जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए संसदीय मॉडल की जीत हुई।

• **संसदीय प्रणाली के लिए अनोखे तर्क:**

• संसदीय प्रणाली के अधिवक्ताओं ने भारत के लिए इसकी उपयुक्तता पर प्रकाश डालते हुए अलग-अलग तर्क प्रस्तुत किए।

• उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर राजनीतिक स्थान प्रदान करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया और आम भलाई के निर्धारण के लिए बहस और चर्चा के महत्व पर जोर दिया।
• इसके अतिरिक्त, संसदीय प्रणाली को सैद्धांतिक, जातीय और सांस्कृतिक बहुलवाद को समायोजित करने में कुशल माना गया।

संसदीय प्रणाली के विरोधाभास:

• स्थिर समर्थन और प्रभावी विपक्ष की आवश्यकता:
• संसदीय प्रणाली को स्थिर समर्थन की आवश्यकता होने के बावजूद, विरोधाभासी रूप से प्रभावी विरोध के माध्यम से निरंतर आलोचनात्मक सत्यापन की आवश्यकता होती है।
• जवाबदेही और विविध आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण माना जाता है।

• सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौतियाँ:

• सत्तारूढ़ दल को अपने प्रभुत्व और एक प्रभावी विपक्ष की आवश्यकता के बीच नाजुक संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• पार्टी की ताकत और मजबूत विरोधी आवाजों की लोकतांत्रिक आवश्यकता के बीच अंतर्निहित विरोधाभास से तनाव उत्पन्न होता है।

हाल की घटनाएँ और संसदीय आचरण:

• सुरक्षा उल्लंघन का प्रभाव:

• संसद की सुरक्षा में सेंध केवल एक अलग घटना नहीं थी बल्कि पूरे देश को प्रभावित करने वाली एक सेंध थी।
• जवाब में, विपक्ष ने उचित रूप से जवाबदेही की मांग की और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसदीय ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

• नेतृत्व प्रतिक्रिया आलोचना:

• सुरक्षा उल्लंघन के बाद आवश्यक आश्वासनों और स्पष्टीकरणों की कथित कमी के लिए नेतृत्व की आलोचना की गई।
• विपक्ष की चिंताओं को दूर करने में विफलता के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, जिससे इस प्रतिक्रिया की उपयुक्तता पर सवाल खड़े हो गए।

• नेतृत्व के कार्यों पर सवाल उठाना:

• विपक्ष की भागीदारी के साथ एक सुरक्षा समिति बनाने में नेतृत्व की पहल की कमी ने कार्यकारी संरेखण के लिए संसदीय गरिमा के संभावित समझौते के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
• ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे कि नेहरू का सम्मानजनक संसदीय आचरण, विपरीत नेतृत्व दृष्टिकोण के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

कुल मिलाकर मूल्यांकन:

• संतुलन की आवश्यकता:

• विपक्ष की खामियों को स्वीकार करते हुए, राष्ट्र की आवाज के रूप में कार्य करने का दायित्व नेतृत्व पर है।
• इस जिम्मेदारी के आलोक में विपक्ष के एक बड़े हिस्से के निलंबन पर सवाल उठाया गया है, जिससे संसदीय आचरण का पुनर्मूल्यांकन और सत्तारूढ़ दल के प्रभुत्व और प्रभावी विपक्ष के बीच संतुलन को बढ़ावा मिला है।

प्रीलिम्स बूस्टर

जीएम सरसों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किये

- 🌾 **सुप्रीम कोर्ट की जांच:** सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेनिक सरसों डीएमएच-11 के लिए टीईसी रिपोर्ट पर जीईएसी के विचार पर सरकार से सवाल किया, टीईसी रिपोर्ट में असहमति वाले नोट्स को संभालने में पारदर्शिता पर जोर दिया।
- ⚖️ **अटॉर्नी जनरल का बचाव:** अटॉर्नी जनरल जीएम फसल मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी, विज्ञान-आधारित ढांचे के साथ एक वैधानिक निकाय के रूप में जीईएसी का बचाव करते हैं, उदाहरण के तौर पर जीएम सरसों के लिए मजबूत नियमों और सशर्त अनुमोदन पर जोर देते हैं।
- 👩‍⚖️ **न्यायमूर्ति नागरत्ना का जोर:** न्यायमूर्ति नागरत्ना टीईसी रिपोर्टों में असहमति वाले नोट्स को संभालने में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हैं, सशर्त अनुमोदन में भी कठोर जोखिम विश्लेषण और गहन मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- 🌱 **विकास:** DMH-11 एक संकर सरसों संस्करण है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के फसल पौधों के आनुवंशिक हेरफेर केंद्र में विकसित किया गया है, जिसका नेतृत्व विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल ने किया है।
- **आनुवंशिक हेरफेर दृष्टिकोण:** DMH-11 का परिणाम वरुणा और अर्ली हीरा-2 को पार करने से होता है, जिसमें सरसों की स्व-परागण चुनौती को संबोधित करने के लिए मिट्टी के बैक्टीरिया (बार्नसे और बारस्टार) के जीन शामिल होते हैं।
- 🌾 **डीएमएच-11 विशेषताएं:** उल्लेखनीय लक्षणों में बेहतर उपज और उर्वरता शामिल है, आनुवंशिक हेरफेर के साथ नियंत्रित क्रॉसिंग के लिए स्व-परागण को बंद करना और बीज उत्पादन के लिए इसे बहाल करना।
- **ट्रांसजेनिक प्रकृति:** विदेशी जीन के समावेश के कारण इसे ट्रांसजेनिक फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अधिक नियंत्रित सरसों के पौधे के लक्षणों के लिए जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
- 📚 **"11" का महत्व:** वांछनीय लक्षणों के प्रकट होने के लिए पीढ़ियों की संख्या को संदर्भित करता है, जिसमें बार्नेज़ वरुणा में अस्थायी बाँझपन उत्पन्न करता है और बारस्टार हीरा में बीज उत्पादन की अनुमति देता है।
- 🚦 **कानूनी और नियामक जांच:** डीएमएच-11 की अनुमोदन प्रक्रिया और पर्यावरणीय रिलीज को कानूनी चुनौतियों और चर्चाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें पर्यवेक्षित खेती को मंजूरी दी गई है और गहन मूल्यांकन के बाद संभावित व्यावसायिक उपलब्धता की उम्मीद है।
- 🌾 **जीएम सरसों से जुड़े विवाद:**
  - वाद-विवाद विदेशी जीनों, विशेष रूप से शाकनाशी सहनशीलता प्रदान करने वाले बार जीन, के उपयोग पर केंद्रित है, जिसमें शाकनाशी-सहिष्णु फसल के रूप में जीएम सरसों के अपर्याप्त मूल्यांकन और संभावित जोखिमों के बारे में चिंताएं शामिल हैं।
  - कार्यकर्ता मधुमक्खियों और पर्यावरण पर जीएम सरसों के प्रभाव, मधुमक्खियों को परागण से हतोत्साहित करने और संभावित पर्यावरणीय परिणामों के बारे में चिंता जताते हैं।
  - स्वदेशी जागरण मंच द्वारा समर्थित कार्यकर्ता समूह व्यापक चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार जीएम फसलों का विरोध करते हैं।

- 🌱 जीएम सरसों का भविष्य:
- जीईएसी ने पहले 2017 में जीएम सरसों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले सहित कानूनी चुनौतियों ने प्रगति को रोक दिया था, जो कि पहले की ट्रांसजेनिक फसल बीटी बैंगन के सामने आई अनिश्चितताओं के समान थी।
- वर्तमान स्थिति आईसीएआर द्वारा पर्यवेक्षित खेती की अनुमति देती है, आगे के मूल्यांकन के बाद व्यावसायिक उपलब्धता की उम्मीद है।

आरबीआई गवर्नर का कहना है कि आईबीसी में सुधार की जरूरत है

📜 कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए 2016 में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) लागू किया गया था।
🎯 आईबीसी का मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना और लेनदारों और देनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना है।
🏛️ दिवाला समाधान प्रक्रिया की देखरेख और दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना।
⚖️ कॉर्पोरेट दिवालियापन के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और व्यक्तिगत और साझेदारी दिवालियापन मामलों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) सहित निर्णायक प्राधिकरणों का निर्माण।
⏱️ दिवाला समाधान प्रक्रिया (आईआरपी) और परिसमापन प्रक्रिया के लिए प्रावधान, दिवाला और दिवालियापन मामलों को हल करने के लिए एक समयबद्ध तंत्र प्रदान करता है।
💼 दिवाला पेशेवरों की अवधारणा का परिचय जो दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

IBC से पहले के कानून

🔷 **सरफेसी अधिनियम, 2002:**
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण के लिए उपाय पेश किए गए, बैंकों को डिफ़ॉल्ट के मामले में संपार्श्विक का कब्जा लेने का अधिकार दिया गया।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की तेजी से वसूली के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया।

🔷 **आरडीडीबी अधिनियम 1993 (बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993):**
- ऋण संबंधी मामलों के त्वरित समाधान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) की स्थापना की गई।
- इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना है।

🔷 **SICA 1985 (बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985):**
- इसका उद्देश्य परिसमापन को रोकने के लिए बीमार कंपनियों का पुनर्वास करना है।
- औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के गठन का प्रावधान किया गया।

🔷 **कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत व्यवस्था को समाप्त करना:**
- वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ कंपनियों को बंद करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया।
- गैर-व्यवहार्य व्यवसायों को बंद करने की सुविधा प्रदान की गई।

🔷 **कंपनी अधिनियम, 2013 (संक्षिप्त अवधि):**
- कॉर्पोरेट पुनर्गठन और समाधान के लिए प्रावधान पेश किए गए।
- कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए अधिक आधुनिक कानूनी ढांचे के लिए आधार तैयार किया गया।

चुनौतियां

🔶 सीमित डेटा पहुंच:
- ऐतिहासिक कानूनों में IBC की तुलना में संरचित डेटा का अभाव है, जिससे व्यापक मूल्यांकन मुश्किल हो जाता है।

🔶 संकल्प से अधिक पुनर्प्राप्ति पर जोर:
- पूर्ववर्ती कानूनों ने दिवालियेपन के मामलों के समग्र समाधान के बजाय ऋण वसूली को प्राथमिकता दी।

🔶 लंबी कानूनी कार्यवाही:
- कानूनी कार्यवाही में वर्षों से लेकर दशकों तक की देरी, समय पर ऋण वसूली और समाधान में बाधा उत्पन्न करती है।

दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे से इजराइल को गाजा हमले बंद करने का आदेश देने को कहा

🔷 स्थापना एवं स्थान:
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और यह नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है।
- यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है।

🔷 भूमिका और कार्य:
- न्यायालय अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान करता है।

🔷 रचना एवं भाषाएँ:
- न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है।
- इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।

जज दलवीर भंडारी
भारत
• जीवनी
27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य, 6 फरवरी 2018 से पुनः निर्वाचित

यूएसआईडीएफसी, एनआईआईएफ हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1 अरब डॉलर का फंड स्थापित करेंगे

🏗️ स्थापना एवं स्वरूप :
- भारत सरकार द्वारा स्थापित, एनआईआईएफ देश का पहला संप्रभु धन कोष है, जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचे के निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।

📅 शुरुआत और अनुमोदन:
- एनआईआईएफ की अवधारणा को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2015-2016 में पेश किया गया था और अगस्त 2015 में आर्थिक मामलों के विभाग से मंजूरी मिली थी।

🎯 उद्देश्य और नियामक स्थिति:
- एनआईआईएफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत एक संप्रभु धन कोष के रूप में कार्य करता है और इसे सेबी विनियम, 2012 के तहत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करना है और यह सेबी के साथ पंजीकृत है, जो नियामक दिशानिर्देशों के पालन को दर्शाता है।